न्यायालय अपर कलक्टर, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी – श्री ओ.पी.बिश्नोई आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 17 / 2016

अपीलांटस — बनाम — रेस्पोडेंटस

अपीलांटस:

1. करणसिंह पुत्र मानसिंह
2. नारायणसिंह पुत्र मानसिंह
3. बिशनसिंह पुत्र मानसिंह जाति राजपूत निवासी मानसिंह की बेरी, खाली तहसील धोरीमना जिला बाड़मेर

रेस्पोडेंटस:

1. चन्दसिंह पुत्र मंगलसिंह जाति राजपूत निवासी मानसिंह की बेरी, खाली तहसील धोरीमना
2. प्रबन्धक, एसबीबीजे शाखा धोरीमना
3. तहसीलदार धोरीमना

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम विरूद्व नामान्तरकरण संख्या 230 दिनांक 03.05.2016 द्वारा तहसीलदार धोरीमना

उपस्थित– 1. श्री बलवन्तसिंह चौधरी अपीलांटस की ओर से।
2. रेस्पोडेंट संख्या 01 अनुपस्थित।
3. रेस्पोडेंट संख्या 02 एक तरफा।
4. राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेट संख्या 03 की ओर से।

न्यायालय अपर कलक्टर सत्यमेव जयते बाड़मेर (राजस्थान)

आदेश **दिनांक 26.7.2017**

1. संक्षेप में अपीलान्टस की अपील के तथ्य इस प्रकार हैं कि रेस्पोडेंट संख्या 01 का मौजा मानसिंह की बेरी पटवार मण्डल खारी तहसील धोरीमना में खातेदारी खेत खसरा नंबर 403 रकबा 70 बीघा 03 बिस्वा आया हुआ था, जिसका वैध खातेदार होने के कारण उक्त खेत का बेचान अपीलांटस को जरिये पंजीबद्व विक्रय पत्र से कर, दिनांक 25.7.1079 को कब्जा सौंपा गया। ग्राम पंचायत खारी ने नामान्तरकरण संख्या 195, 196 व 197 पारित करते समय बेचान के आधार पर नामान्तरकरण स्वीकृत नहीं कर अपीलांटस के नाम खसरा नंबर 403/1 रकबा 51 बीघा का पारित किया गया तथा शेष भूमि अपीलांटस के बेचान के बाद भी रेस्पोडेंट

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

संख्या 01 चन्दसिंह के नाम खातेदारी में यथावत रखी गई। अपीलांटस ने सहायक कलक्टर गुड़ामालानी वर्तमान में सहायक कलक्टर धोरीमना में खेत खसरा नंबर 403 रकबा 19 बीघा 03 की घोषणा का दावा वर्ष 2005 में रेस्पोडेंटस संख्या 01 के खिलाफ किया तथा साथ में धारा 212 राज. काश्तकारी अधिनियम का आवेदन पत्र पेश किये जाने पर सहायक कलक्टर गुड़ामालानी ने खेत खसरा नंबर 403 रकबा 19.03 बीघा का बेचान नहीं करने एवं राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने का आदेश दिनांक 08.08.2005 को पारित कर रेस्पोडेंट संख्या 01 के खिालाफ अस्थायी निषेधाज्ञाा जारी की गई, जो दिनांक 21.5.2015 तक यथावत रही। अधीनस्थ कर्मचारियों द्वारा दिनांक 08.08.2005 से दिनांक 21.5.2015 तक सहायक कलक्टर गुड़ामालानी के आदेश की पालना नहीं कर रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 से मिलीभगत कर उक्त खेत को एसबीबीजे शाखा धोरीमना में रहन रख दिया। तथा रेस्पोडेंटस ने साजिश के तौर पर विधि विरूद्व नामान्तरकरण संख्या 141 एसबीबीजे शाखा धोरीमना के पक्ष में पारित किया, जिसकी जानकारी अपीलांटस को नहीं थी। दिनांक 21.5.2015 को राजस्व लोक अदालत केम्प कोर्ट खारी में अपीलांटस एवं रेस्पोडेंट संख्या 01 द्वारो आपस में राजीनामा किये जाने पर सहायक कलक्टर धोरीमना ने खेत खसरा नंबर 403 का पूरा रकबा अपीलांटस के नाम खातेदारी घोषित की गई परन्तु अधीनस्थ कर्मचारियो ने नामान्तरकरण संख्या 230 दिनांक 3.5.2016 पर यह टिप्पणी की गई कि खसरा नंबर 403 एसबीबीजे शाखा धोरीमना के पास रहन है। उक्त आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलांटस ने यह अपील धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत हमारे समक्ष पेश की है।

2. हमने अपील अपीलांटस दर्ज रजिस्टर कर, रेस्पोडेंटस को सम्मन जारी किये एवं अपीलाधीन पत्रावली तलब की।

3. हमने दोनों पक्षो की बहस सुनी। अपीलांटस के विद्वान अधिवक्ता का कथन हैं किसहायक कलक्टर धोरीमना द्वारा जारी निषेधाज्ञा के बावजूद भी अधीनस्थ कर्मचारियों द्वारा वादग्रस्त नामान्तरकरण संख्या 230 दिनांक 3.5.2016 विधि विरूद्व पारित किया गया है, जो निरस्त किये जाने योग्य हैं। अपीलांटस की अपील स्वीकार की जाकर मानसिंह की बेरी, खारी तहसील धोरीमना के खसरा नंबर 403 रकबा 19.03 बीघा का नामान्तरकरण नये सिरे से अपीलांटस के नाम पारित किया जाये। तहसीलदार धोरीमना द्वारा वादग्रस्त नामान्तकरण पारित करने से पूर्व किसी प्रकार की जांच नहीं करवाई गई, इससे यह जाहिर होता हैं कि रेस्पोडेंट संख्या

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

01 से प्रभावित होकर पटवारी हल्का व अन्य अधिकारियों द्वारा अपने पद एवं अधिकारों का दुरूप्योग करते हुए भरा गया नामान्तरकरण निरस्त किये जाने योग्य है। सर्वप्रथम अपीलान्ट को इस विभाजन आदेश का दिनांक 9.5.2011 को वास्तविक ज्ञान हुआ एवं वास्तविक ज्ञान की तारीख से अपील अन्दर म्याद सुमार करने का निवेदन किया। अपीलांट ने अपील के साथ धारा 5 परिसीमा अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र भी पेश किया।

4. रेस्पोडेंटस संख्या 03 की ओर से राजकीय अभिभाषक ने तर्क किया कि नामान्तरकरण संख्या 230 तत्समय की परिस्थितियॉ अनुसार सही भरा गया था, इसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं होना पाया गया है। अतः अपीलांटस की अपील निरस्त योग्य है।

5. हमने उभय पक्ष की बहस सुनी। अपीलाधीन पत्रावली, उस पर उपलब्ध अभिलेख का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। सहायक कलक्टर गुड़ामालानी द्वारा जारी निषेधाज्ञा के बावजूद अधिनस्थ कर्मचारियों द्वारा वादग्रस्त नामान्तरकरण संख्या 230 दिनांक 3.5.2016 विधि विरूद्व पारित किया गया है। तथा दिनांक 9.6.2017 को एसबीबीजे शाखा धोरीमना द्वारा जारी प्रमाण–पत्र अनुसार खसरा नंबर 403 की भूमि बैंक भार से रहनमुक्त है। अपीलांटस ने यह अपील धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत रेस्पोडेंट संख्या 01 के पक्ष में पारित नामान्तरकरण संख्या 230 दिनांक 3.5.2016 को खारिज किये जाने हेतु पेश की है, जो स्वीकार किये जाने योग्य है।

6. उपरोक्त विवेचन के फलस्वरूप अपीलांटस की अपील स्वीकार की जाकर तहसीलदार धोरीमना द्वारा पारित नामान्तरकरण संख्या 230 दिनांक 3.5.2016 निरस्त किया जाकर निर्देश दिये जाते हैं कि सहायक कलक्टर धोरीमना द्वारा लोक अदालत में पारित निर्णय दिनांक 21.5.2015 अनुसार नामान्तरकरण पारित किया जावें।

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

(ओ.पी.बिश्नोई)
अपर कलक्टर, बाड़मेर
अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

निर्णय आज दिनांक 26.7.2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अपर कलक्टर, बाड़मेर
अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)